अपील संख्या 28/2019

शिव प्रताप सिंह पालारा

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – कोटा व अन्य।

प्रथम अपील प्राधिकारी – एन.एम.शर्मा (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – श्री शिव प्रताप सिंह पालारा, की तरफ से संदीप सिंह शेखावत
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – कोटा, आर.एस.आर.डी.सी. एवं अन्य
3. प्रत्यार्थी – निर्मला देवी, की तरफ से श्री विमल चौधरी, एडवोकेट

निर्णय

दिनांक :–

यह कि वर्तमान प्रथम अपील, प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी शिव प्रताप सिंह पालारा द्वारा दिनांक 23.07.2019 को प्रस्तुत कर परियोजना निदेशक यूनिट– कोटा, द्वारा अपलोड तकनीकी समिति की रिर्पोट दिनांक19.07.2019 को चुनौती दी है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है।:–

यह है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा ई – निविदा सूचना संख्या 077/2019–20 दिनांक 04.07.2019 को जारी कर चौमहला – सीतामउ टोल रोड परियोजना पर 30 माह की अवधि के लिए पथकर वसूली हेतु निर्धारित प्रपत्र ई टेन्डिगं प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की गई थी। अपीलार्थी के साथ अन्य चार निविदा प्राप्त हुई उनमें से मात्र अपीलान्ट द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस द्वारा सत्यापित प्राप्त नही होने के कारण तकनीकी मुल्याकंन समिति द्वारा अपीलान्ट की निविदा को स्वीकार नही किया गया। तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिर्पोट प्रतिपक्ष संख्या 1 परियोजना निदेशक यूनिट कोटा दिंनाक 19.07.2019 को निगम बेवसाईड पर अपलोड की गई अपीलार्थी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.07.2019 के विरूद्व प्रथम अपील मूल रूप से निम्न कथन के साथ प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट का कथन है कि उनके द्वारा ऑनलाईन निविदा के साथ वांछित सभी दस्तावेज डाउनलोड किए थे लेकिन तकनीकी कमी के कारण वांछित पुलिस द्वारा सत्यापित चंरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड नही हुआ। दिंनाक 19.07.2019 को बेवसाईड पर दरों का तुलनात्मक रिपोर्ट को देखा गया उससे अपीलान्ट की निविदा दर सबसे अधिक है। उनके द्वारा बाद में प्रस्तुत किये गये चरित्र प्रमाण पत्र दिंनाक 08.07.2019 को शामिल कराते हुये तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट दिंनाक 19.07.2019 को निरस्त कर अपीलन्ट को निविदा में शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिपक्ष संख्या 1 एवं 2 की तरफ से परियोजना निदेशक यूनिट कोटा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि उनके द्वारा जारी ई – निविदा सूचना संख्या 077/2019 – 20 दिंनाक 04.07.2019 में धारित सभी योग्यताओं को पूर्ण करते हुये ई निविदा वांछित दस्तावेजो के साथ, इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में बेवसाईड पर दिंनाक 08.07.2019 प्रातः 9 बजे से दिंनाक 17.07.2019 को सांय काल 6 बजे तक डाउनलोड की जानी थी, जिसे दिंनाक 18.07.2019 को प्रातः काल खोला जाना था, तदानुसार ही दिनांक 18.07.2019 सभी निविदाकर्ताओं की निविदा को तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा देखा गया प्राप्त पॉच निविदाओ मे से चार निविदाये सभी औपचारिक्ताये पूर्ण करने के आधार पर सफल घोषित की गई जबकि अपीलान्ट की निविदा को पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड नही करने के कारण असफल घोषित कर तकनीकी मूल्याकंन समिति की रिपोर्ट को उनके द्वारा दिंनाक 19.07.2019 को 1.10 बजे पर सांय काल वेबसाईड पर अपलोड किया गया।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता कानून नियम 1913 के नियम 60(4) में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार **"किसी अनर्हित बोली लगाने वाले को अर्हित बनाने या किसी गैर – प्रत्युतरंदायी प्रस्तुतीकरण को प्रत्युतरदायी बनाने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए अर्हता सूचना या प्रस्तुतीकरण में कोई सारभूत परिवर्तन चाहा, प्रस्तावित, या अनुज्ञात नही किया जायेगा।"**, निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात्

किसी प्रकार की सूचना एवं प्रस्तुतीकरण स्वीकार किया जाना वर्जित होने के कारण अपीलान्ट द्वारा निर्धारित तिथि एंव समय के पश्चात् पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र को निविदा में शामिल किया जाना न्यायोचित नही है, इसलिए तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा को स्वीकार नही करने का निर्णय लिये जाने में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता कानून अधिनियम एवं निमय में प्रदत्त प्रक्रिया का उल्लंघन नही किया गया है, अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया, यह भी अनुरोध किया गया की यदि निविदा तकनीकी मूल्यांकन में ही असफल पाई जाती है,तो वित्तिय बिड में शामिल नही किया जाता हैं। इसलिए असफल निविदाकर्ता की दर ज्यादा होते हुये भी विचार नही किया जा सकता है। इस निविदा में वित्त बिड दिंनाक 19.07.2019 को खोलने के उपरान्त सक्षम स्तर पर अनुमोदन के बाद प्रतिपक्ष संख्या 3 को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही के लिए दिंनाक 29.07.2019 से सूचित भी किया गया है।

प्रतिपक्ष संख्या 3 की तरफ से उनके अधिवक्ता श्री विमल चौधरी द्वारा इस कथन के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया की निविदा से वांछित दस्तावेज के अभाव में अपीलान्ट को तकनीकी मूल्यांकन के स्तर पर ही असफल घोषित किया गया है, इसी स्थिति में उनके द्वारा दिये गये उच्चतम निविदा दर के प्रश्न पर विचार किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नही होता है, निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दस्तावेज अर्थात् महत्वपूर्ण चरित्र प्रमाण पत्र उसे स्वीकार नही किया जा सकता, अपीलान्ट की अपील खारिज करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारान को दिंनाक 31.07.2019 को मध्याह पश्चात् सुना गया अपीलान्ट के इस अनुरोध पर की किसी अन्य प्रकरण में निविदा की डाउनलोड तिथि एवं समय के पश्चात् दस्तावेंजात प्रस्तुत करेन के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में दस्तावेज शामिल करने का निर्णय हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु दिंनाक 09.08.2019 तक समय चाहा गया उनके अनुरोध पर अग्रिम तारिख पेशी 09.08.2019 नियत की गई।

निगम अधिवक्ता श्री वी.पी. माथुर द्वारा अपीलान्ट की रिट याचिका संख्या 12352/2019 मे पारित आदेश/निर्णय दिंनाक 02.08.2019 की जानकारी दी गई। एवं सूचित किया गया कि निर्धारित तिथि 09.08.2019 के स्थान पर दिंनाक 06.08.2019 को अपीलान्ट को सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री संदीप सिह शेखावत एवं प्रतिपक्ष के अधिवक्ता श्री विमल चौधरी उपस्थित हुये उनको सुना गया अपीलान्ट द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता कानून नियम 61(2) में प्रदत्त प्रावधान का अवलोकन कराया गया। एवं कथन किया गया कि इस प्रावधान के तहत चरित्र प्रमाण पंत्र तकनीकी मूल्यांकन समिति ग्रहण कर सकती है।

पक्षकारान को सुना गया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं दस्तावेज तथा प्रतिपक्षगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज का अवलोकन एंव विश्लेषण किया गया। अपीलान्ट द्वारा निविदा अपलोड करने की तिथि 17.07.2019 एवं समय सांय काल 6.00 बजे तक पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा को असफल घोषित करने में **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में प्रदत्त प्रावधान की पालना में कोई उल्लंघन एंव त्रृटि नही की गई है, क्योकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता** नियम – 2013 के नियम 60(4) में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् कोई दस्तावेजात स्वीकार करने का अधिकार प्रदत्त नही है। निमय 61(2) में प्रदत्त प्रावधान उपरोक्त वर्णित प्रकृति के दस्तावेज से सम्बन्धित नही है।

अतः उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
आदेश आज दिनांक 02.08.2019 को सुनाया गया ।

प्रथम अपील प्राधिकारी ,
(महाप्रबन्धक) 7/8/2019
आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।